

प्रेस नोट थाना रामगढताल दिनांक 19-05-2021

300 ग्राम अवैध गाजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर मय चौकी प्रभारी आजाद नगर उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह मय टीम को अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं पर्दाफाश हेतु लगाया था। टीम द्वारा लगातार तलाश व दबिश की कार्यवाही की जा रही थी। उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह मय टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दिनांक 19.05.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति प्राइमरी पाठशाला कठऊर की तरफ से अवैध गाजा लेकर आने वाला है। इस सूचना पर मै उ0नि0 मय हमराहियान के प्राइमरी पाठशाला कठऊर के पास आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे। इस सूचना पर पुलिस टीम रामगढताल प्राइमरी पाठशाला कठऊर के पास से अभियुक्त शैलेश पुत्र कोदई निषाद निवासी रामपुर भरवलिया थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 28 वर्ष को 300 ग्राम अवैध गाजा के साथ समय करीब 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया। शैलेश उपरोक्त को अन्तर्गत मु0अ0सं0 0182/2021 धारा 8/20 N.D.P.S. Act थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

शैलेश पुत्र कोदई निषाद निवासी रामपुर भरवलिया थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

अभियुक्त शैलेश से बरामद संपत्ति

300 ग्राम अवैध गाँजा।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 0182/2021 धारा 8/20 N.D.P.S. Act थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह चौकी प्रभारी आजाद नगर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. का0 कृष्ण कुमार सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
4. का0 विजय प्रकाश यादव थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
5. का0 बबलू यादव थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर